

कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर प्रथम खण्ड

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 02/2023 स्वापक नियंत्रण-1 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के अनुसार जारी सामान्य शर्तों (अफीम नीति) के पैरा 2 के तहत फसल वर्ष 2023-24 हेतु अपात्र पाए गये कृषकों की सूची:

क्र.सं.	जिला	तहसील	युनिक कोड	रेन्ज नं.	गांव का नाम	कृषक/कृषिका का नाम	मार्फिन औसत
1	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207010037	1	धारियाखेडी- II	श्यामलाल/चेनराम	2.795
2	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207010014	1	धारियाखेडी- II	कृष्णसिंह/हुकुमसिंह	2.049
3	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207013157	1	गुराडियादेदा- II	कंवरलाल/धनराज	2.990
4	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207028009	1	रेवास देवडा- I	भरत/चौधमल पौत्र मोहनलाल	NDPS
5	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207031070	1	साबाखेडा- II	कचरू/मेघा	2.580
6	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207031037	1	साबाखेडा- II	अविनाश/रमेशचन्द्र पौत्र कोमलराम	2.988
7	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207031043	1	साबाखेडा- III	ओमप्रकाश/श्रीराम	2.795
8	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207031122	1	साबाखेडा-IV	केशी बाई/नन्दा	2.455
9	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207031001	1	साबाखेडा-IV	रतनबाई/मांगीलाल	1.384
10	मन्दसौर	दलौदा	01030208065043	3	आकोदडा- III	वरदीचंद/भेरूलाल	NDPS
11	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207086006	4	बाग्या	बाबुलाल/नाथु	2.804
12	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207134012	5	नावनखेडी	केलाश/भागीरथ	NDPS
13	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207136080	5	पांडलियामारू- I	कन्हैयालाल/रतनलाल	NDPS
14	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207139095	5	सूरी- II	धापूबाई/नन्दलाल	2.901
15	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207168045	6	तिसई	फुन्दासिंह/डुंगरसिंह	2.950
16	मन्दसौर	मन्दसौर	01030207169058	6	तुमडावदा	नन्दकिशोर/भागीरथ	NDPS

नोट-1-यद्यपि उक्त पात्र कृषकों की सूची यथासंभव सावधानी बरतते हुए तैयार की गई है तथापि कोई किसान यह समझता है कि जारी अफीम नीति 2023-24 के प्रावधानों के अनुसार पात्र है परन्तु उसका नाम उक्त सूची में दिए गए सम्भावित किसानों की सूची में सम्मिलित नहीं है तो वह बन्दोबस्त अवधि तक अपना प्रत्यावेदन कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर प्रथम खण्ड में प्रस्तुत कर सकता है जिसकी जाँच कर पात्रता प्रमाणित होने पर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रहे केवल संभावित पात्रता सूची में नाम आने से ही लाइसेंस जारी करने की अनिवार्यता नहीं होगी। कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर प्रथम खण्ड में उपलब्ध रिकार्डों के अनुरूप ही पात्रता प्रमाणित होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।